प्र.सं. 31/17 मृतक मखजी के बजाय राजीया बनाम मृतक देवजी के बजाय श्रीमती गंगली

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2019	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.08.2017 को पेश की गयी है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद के सम्मन उसे तामिल नहीं हुए थे तथा राजस्व अभियान में सुनवाई की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुने बिना प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमारे द्वारा यह पाया गया कि दिनांक 10.07.2015 की आदेशिका पर तीनों अपीलान्टगण की अंगूठा निशानी है तथा उनके द्वारा जो बयान दिये गये हैं उन पर भी तीनों अपीलान्टगण की अंगूठा निशानी है, जिसमें उनके द्वारा यह वर्णित किया गया है कि उक्त भूमि पर हम सभी मौके पर बंटवारा कर हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमियों का रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तद्नुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। अपीलान्टगण के आदेशिका दिनांक 10.07.2015 व बयानों पर हस्ताक्षर हैं, तद्नुसार उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.07.2015 की जानकारी अपीलान्टगण को उसी दिन होने की साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध है, जिसकी मयाद 09.09.2015 होती है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 23 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिये दिये गये कारण उचित एवं पर्याप्त के स्थान पर मिथ्या हैं। अतएवं 23 माह के विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं होने से अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्र.सं. 31/17 मृतक मखजी के बजाय राजीया बनाम मृतक देवजी के बजाय श्रीमती गंगली

प्र.सं. 31/17 मृतक मखजी के बजाय राजीया बनाम मृतक देवजी के बजाय श्रीमती गंगली